युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना

राजस्थान वित्त निगम द्वारा युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए "युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना" का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

राज्य सरकार ने 1000 उद्यमियों के उद्योग लगाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना में कुछ संशोधन किये हैं।

संशोधन के उपरांत युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पात्र उद्यमी, जिनके पास भूमि की उपलब्धता अपने स्तर पर सुनिश्चित है, ऋण हेतु आवेदन निगम में प्रस्तुत कर सकते हैं।

युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के मुख्य बिन्दु

पात्रता की शर्तें :-

1. 45 वर्ष तक की आयु के उद्यमी जिनके पास आई.टी.आई./डिप्लोमा/हायर सैकण्डरी (10+1)/सीनियर सैकण्डरी (10+2) की योग्यता है, आवेदन करने योग्य हैं। एक से अधिक प्रवर्तकों की अवस्था में कम से कम एक की आयु एवं शैक्षणिक योग्यता योजनानुसार है एवं ऐसे प्रवर्तक की उद्यम में अंशभागिता कम से कम 50 प्रतिशत है, आवेदन करने योग्य माना जावेगा।
2. योजनान्तर्गत औद्योगिक इकाई व सेवा क्षेत्र में उद्यम जिसमें होटल (रेस्टोरेन्ट सहित), हॉस्पिटल (डाइग्नोस्टिक क्लिनिक एवं डेन्टल क्लिनिक सहित) एवं सूचना प्रौद्योगिकी आदि शामिल है, जो कि जिला मुख्यालय स्थित विकास प्राधिकरण एवं नगर सुधार न्यास की सीमा में तथा मुख्य नगरों में स्थापित किये जाने हैं और यदि आर्थिक व तकनीकी रूप से व्यवहार्य है तो विचार किया जा सकता है।

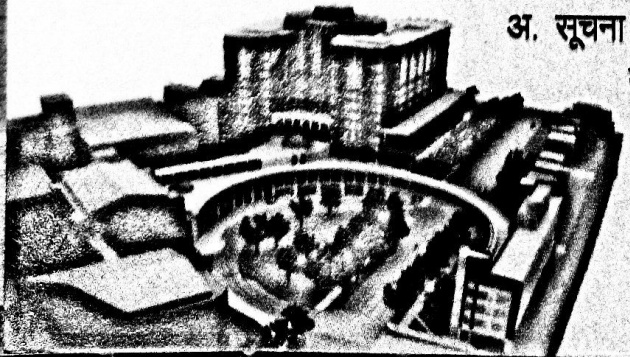

अ. सूचना प्रौद्योगिकी की परियोजनाओं को केवल राज्य के मुख्य नगरों एवं जिला मुख्यालय पर व्यावसायिक भूमि/भवन में स्थापित करने की अनुमति दी जायेगी।

ब. सेवा क्षेत्र की इकाईयों के व्यावसायिक स्थान अर्जन करने पर 30 प्रतिशत मार्जिन पर वित्तीय सहायता परियोजना का भाग मानते हुए की जायेगी।

3. ग्राम पंचायत के अधीन मुख्य कस्बों में स्थापित होने वाली सेवा क्षेत्र की इकाइयाँ जो रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया/वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य उपयुक्त स्थान पर स्थापित की जा रही है, उन पर भी विचार किया जा सकता है।
4. होटल परियोजनाएं यदि 4 या 6 लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थापित की जाती है तो उन पर विचार किया जा सकता है।
5. वर्तमान में चल रही इकाई (चाहे किराए की सम्पत्ति या स्वयं की सम्पत्ति में हो) के प्रवर्तक (प्रोपराइटर, साझेदार एवं निदेशक) भी यदि नई इकाई योजना में अनुमति प्राप्त स्थानों पर स्थापित करते हैं तथा अन्यथा भी योग्य हैं, ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
6. यदि उद्यमी कनवर्टेड भूमि पर भी उद्योग लगाता है तो भी निगम के नियमानुसार ऋण लेने योग्य है।
7. उद्यमी को अनुमोदित परियोजना के अनुसार यंत्र–संयंत्र में 75% निवेश करना अनिवार्य होगा।

ऋण राशि : योजना के अन्तर्गत अधिकतम ऋण सीमा रूपये 500.00 लाख है।

चयन प्रक्रिया : पात्र अभ्यर्थियों जिन्होंने उपरोक्तानुसार अपने उद्योग अथवा सेवा क्षेत्र के उद्यम स्थापित करने के लिए भूमि की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली है अपना पूर्ण ऋण आवेदन पत्र निगम में प्रस्तुत कर सकते हैं। वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ऋण आवेदनों का चयन स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया जावेगा। चयनित ऋण पत्रावलियाँ नियमानुसार प्रसंस्करण एवं मूल्यांकन कर सक्षम समिति द्वारा स्वीकृत की जायेगी। स्वीकृत परियोजनाओं में निगम के नियमानुसार ऋण वितरण किया जायेगा।

ऋण पर बयाज की दर : किश्तों का समयानुसार भुगतान करने पर राज्य सरकार से ब्याज में छूट (Interest Subvention) 6 प्रतिशत, प्रथम रूपये 150.00 लाख तक के ऋण पर प्राप्त होगी। अतः ब्याज दर समयानुसार पुनर्भुगतान करने पर रूपये 150.00 लाख के ऋण पर 7.50 प्रतिशत प्रभावी होगी (13.50–6=7.50%)।

यदि स्वीकृत ऋण रूपये 150.00 लाख से अधिक हैं तो रूपये 150.00 लाख से अधिक ऋण राशि पर निगम की सामान्य ऋण योजना में लागू ब्याज दर ही प्रभावी होगी।

पुनर्भुगतान अवधि : ऋण पुनर्भुगतान अवधि 10 वर्ष होगी जिसमें 6 से 18 माह की अवधि का मोरेटोरियम पीरियड शामिल है।

प्रवर्तकों का अंशदान : योजनान्तर्गत न्यूनतम प्रवर्तक अंशदान एवं प्रतिभूति मार्जिन 30 प्रतिशत एवं अधिकतम ऋण पूंजी अनुपात 2:1 है।

प्रत्याभूति:

1. परियोजना की भूमि, भवन, यंत्र पर निगम का प्रथम प्रभार होगा।
2. प्रवर्तक/भागीदार/निदेशक की व्यक्तिगत गारन्टी।
3. स्वीकृत ऋण राशि एवं भूमि भवन के मूल्य में अन्तर के बराबर समपार्श्विक प्रत्याभूति ली जावेगी।

आवेदन, प्रोसेसिंग एवं कानूनी दस्तावेजों का पंजीकरण शुल्क : शून्य

नोट : आवेदन पत्र निगम में online भी प्रस्तुत कर सकते है। विस्तृत जानकारी के लिए निगम के शाखा कार्यालयों अथवा मुख्यालय से सम्पर्क किया जा सकता हैं।

RFC/P&G/..1546

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION
(Credit Appraisal Section-I)

Udyog Bhawan
Tilak Marg
Jaipur-302005

Ref: RFC/HO/LA-12(80)/55 Date: 08 .07.2020

CIRCULAR
(CAS-56...)

Sub : Yuva Udyamita Protsahan Yojna (YUPY)

The flagship scheme of State Govt. Yuva Udyamita Protsahan Yojna (YUPY) was started in the year 2013-14 for providing loans at lower rate of interest and on easy terms & conditions to promote entrepreneurship.

Looking to the progress, some modification in the scheme were made and the scheme incorporating the modification approved by Govt. was circulated vide P&G Circular No. 1489 dated 20.07.2015.

As per approval received from State Govt., Industries (Group-1) Department vide letter No. P.10 (1) Udyog/1/2020 dated 23.06.2020 (ID No. 102001244 dated 18.03.2020 of Finance Department), following additional modifications have been made in the scheme:

S.No.	Subject		Modifications
1	Qualification	:	Addition of qualification of Higher Secondary (10+1)/ Senior Secondary (10+2).
2	Registration Charges	:	The registration charges for legal documentation be exempted for this scheme.
3	Firm Arrangement of Land	:	If service sector unit is coming up in RIICO Industrial Area/ Commercial viable strategic location (keeping in view the

			total population of the area as well as road condition etc.) of major town even under jurisdiction of Gram Panchayat then such case shall be considered for financing under YUPY.

All concerned are advised to make a note of it and act accordingly to bring maximum number of loan applications under the scheme.

(K.C. Verma)
Managing Director

Copy to :

1- All Branch Offices/FC
2- Standard Circulation at Head Office.
3. DGM (MS), for uploading the Circular on RFC Website.